



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 468 राँची, सोमवार,

13 अक्टूबर, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

16 सितम्बर, 2025

संख्या-5/आरोप-1-193/2017 का०- 5487--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री दीपक कुमार, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 739/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांके, राँची के विरुद्ध छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46(1)(बी) का उल्लंघन कर कांके अंचल के मौजा कोंगे, खाता सं०-23, खेसरा सं०-401, रकबा-11.33 डी० पुरन डोम (अनुसूचित जाति) की भूमि का नामांतरण वाद सं०-134आर०27/ 2001-02 द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह (सामान्य जाति) के नाम पर नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करने तथा सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण करने संबंधी आरोप, जैसा कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-5059, दिनांक 16.10.2017 के माध्यम से प्राप्त उपायुक्त, राँची का पत्रांक-186(i)/ रा०, दिनांक 04.09.2017 द्वारा गठित आरोप-पत्र में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है ।

2. अतः श्री दीपक कुमार के विरुद्ध प्राप्त आरोप पत्र को अनुमोदित करते हुए आरोप पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री दीपक कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ ।

4. श्री दीपक कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

5. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाह्वी, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है ।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री दीपक कुमार, सेवानिवृत्त झा०प्र० से० एवं श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
